

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)

पत्रांक- 3833 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, मई, 17,

2023

सेवा में,

महाप्रबन्धक

नार्दन कोल फील्ड्स लि०

बीना-सोनभद्र ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना-कफरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/२५ दिनांक- 12.04.2022
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2947/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 13.04.2022
- 3-इस कार्यालय का पत्रांक- 3298/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 20.04.2022
- 4-आपका पत्र दिनांक- 07 दिनांक- 13.07.2022
- 5-इस कार्यालय का पत्रांक- 299/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 21.07.2022
- 6-आपका पत्र संख्या- 19 दिनांक- 29.09.2022
- 7-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 1341/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 18.10.2022
- 8-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 1676/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 14.11.2022
- 9-इस कार्यालय का पत्रांक- 1594/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 15.11.2022
- 10-आपका पत्र संख्या- 27 दिनांक- 25.11.2022
- 11-इस कार्यालय का पत्रांक- 2201/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 04.01.2023
- 12-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2548/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 09.02.2023
- 13-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/९९१ दिनांक- 29.03.2023
- 14-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3150/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक-31.03.2023
- 15-इस कार्यालय का पत्रांक-3339/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 01.04.2023
- 16-आपका पत्रांक- बीना/उ०प्र०वन/एफ०सी०/२०२३/६ दिनांक- 25.04.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओं से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखों की माँग की गयी :-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/९९१ दिनांक- 29.03.2023 में अंकित बिन्दु ।
1	No non-forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation

उक्त दोनो बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक-01.04.2023 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया । उक्त के क्रम में आपने अपने संदर्भित पत्र दिनांक- 25.04.2023 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि, दोनो बिन्दुओं का अनुपालन उ०प्र० वन विभाग द्वारा किया जाना है । यहाँ यह उल्लेख करना है कि विषयगत प्रस्ताव एन०सी०एल० द्वारा प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में संलग्न किये गये वचनबद्धता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकरण में कोई भी अभिलेख सक्षम स्तर से माँगे गये जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु वचनबद्ध है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या- 5-2/2017-एफ०सी० दिनांक-

28 मार्च 2019 द्वारा जारी हैण्डबुक /गार्डलाइन्स तथा भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक- 28 जून 2022 द्वारा जारी वन (संरक्षण) नियम 2022 के अनुसूची-1 के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि के दोगूने गैर वन भूमि पूरे प्रदेश में जहाँ भी उपलब्ध हो उसे चयनित करते हुए उसका जी0पी0एस0 लोकेशन के अनुसार जियो रेफरेन्स मानचित्र व टोपोशीट , आदि अभिलेख पॉच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि उसे परीक्षणोपरान्त उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सके । पूरे प्रदेश में गैर वन भूमि उपलब्ध न होने पर ही मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 सरकार के स्तर से वांछित प्रमाण पत्र दिये जाने का प्राविधान है ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट